



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 848) पटना, वृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर 2018

एस० ओ० 239, दिनांक 13 सितम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 1 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 52 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2655)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

13 सितम्बर 2018

एस०ओ० 239 दिनांक 13 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2655)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 13th September 2018

S.O. 239, Dated 13th September 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 52 of the said Act shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3)-2655)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 848-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>